(172)

# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

## संकल्प

संख्या प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

विषय :– बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का क्रमश 12,500/– (बारह हजार पॉच सौ) रू0 एवं 9500/– (नौ हजार पॉच सौ) प्रतिमाह मानदेय तथा 1000/– (एक हजार ) रू0 एवं 500/– (पॉच सौ ) रू0 प्रतिमाह परिवहन भत्ता की स्वीकृति।

बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली – 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को षष्टम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में मानदेय एवं परिवहन भत्ता की स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन था। विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों का क्रमश 12,500/– (बारह हजार पॉच सौ) रू0 एवं 9500/– (नौ हजार पॉच सौ) प्रतिमाह मानदेय तथा 1000/– (एक हजार ) रू0 एवं 500/– (पॉच सौ ) रू0 प्रतिमाह परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4 राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को संशोधित मानदेय एवं परिवहन भत्ता संकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा।

**आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के अगले अंक में किया जाय।**

25/04/2011
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में पॉच अतिरिक्त प्रतियॉ एवं सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियॉ विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25/04/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

प्रतिलिपि – सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव (बजट)/प्र0 पदा0, 01,02, एवं 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/04/2011
प्रधान सचिव

(13)

# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02–बी01 53/2010 1796 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– बिहार राज्य प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 03.03.2011 को आयोजित काउन्सेलिंग के समय निर्मित पैनल से राज्य आयोग/राज्य के सभी जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए निम्नवर्गीय लिपिक/बेंच क्लर्क को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में निम्नवर्गीय लिपिक/बेंच क्लर्क के अनेक पद रिक्त पड़े हुये है। इन सृजित पदो के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1997 में नियुक्ति की कार्रवाई की गयी थी। उक्त नियुक्ति बिहार राज्य खाद्य निगम के अतिरेक कर्मियों को समायोजित करते हुये की गयी थी। इनकी नियुक्ति का निर्णय राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत रोस्टर निर्धारित करा कर किया गया था। विभाग के निर्णयानुसार समायोजित कर्मियों की नियुक्ति जिला पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। ऐसे नियुक्त कर्मियों को संबंधित जिला संवर्ग में विलीन करने संबंधी आदेश भी निर्गत किये गये थे लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न जिलों में उपभोक्ता फोरमों में पद रिक्त पदों पर नियमित अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर कारगर पहल नही हो सकने के कारण तृतीय श्रेणी के अधिकांश पद रिक्त पड़े हुये है जिससे फोरम का कार्य प्रभावित हो रहा है।

2 कृपया ज्ञातव्य हो कि जिला फोरम, सारण के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु अवमाननावाद संख्या 10/2011 दायर किया गया है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आदेश पारित किया गया है। बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 6 के अनुसार फोरम के वर्ग 3 के सभी पद राज्य स्तरीय है। जिला उपभोक्ता फोरम, छपरा में वर्ग 3 एवं 4 के पद रिक्त रहने के फलस्वरूप हाल ही में एक अवमाननावाद भी राज्य सरकार के विरूद्व दायर किया गया है। फलस्वरूप वर्ग 3 के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु नियमित नियुक्ति की कार्रवाई विभाग के द्वारा आरंभ कर दी गयी है।

3 जिला उपभोक्ता फोरम के कार्य की प्रकृति की विशिष्टता एवं भारत सरकार द्वारा निदेशित कॉन्फोनेट योजना के तहत जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग के न्यायालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ते हुये सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का संधारण ऑनलाईन करने की अनिवार्यता को ध्यानगत रखते हुये सिर्फ वर्ग 3 के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर से केन्द्रीयकृत रोस्टर के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

(114)

4 नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुये विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रखंड स्तर पर संविदा के आधार पर प्रखंड सूचना एवं प्राद्योगिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत जिलावार आवेदन आमंत्रित किये गये है। सूचनानुसार प्राप्त आवेदनों के आधार पर कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेघा सूची संबंधित जिले के बेवसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। सभी जिलों में काउन्सेलिंग हेतु एकीकृत तिथि दिनांक 03.03.2011 निर्धारित की गयी है। इस प्रक्रिया के तहत चयनित सभी उम्मीदवार कंडिका 3 पर वर्णित रिति से न्यायालीय कार्य संपादित करने में सर्वथा उपयुक्त होगें।

5 अतः उपर वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि सभी जिला फोरमों के निम्नवर्गीय लिपिक एवं बेंच क्लर्क के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु इसी पैनल से आरक्षण रोस्टर के आलोक में अभ्यर्थियों को चयनित कर जिला फोरम में अपने स्तर से नियुक्त/पदस्थापित किया जाय। जिलावार एवं कोटिवार रिक्ति की सूची इसके साथ संलग्न है। यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 (यथासंशोधित संकल्प संख्या 1718 दिनांक 06.05.2010) के प्रावधानों के आलोक में की जानी है। आरंभ में यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति सम्पन्न हो जाने के पश्चात, इनमें जो पहले हो, तक के लिए की जायेगी। आवश्यकतानुसार इनके संविदा की अवधि का विस्तार एक वर्ष तक के लिए किया जा सकेगा। परन्तु संविदा अवधि में इनकी सेवा संतोषप्रद नही पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

6 संविदा आधारित नियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान व्यावसायिक सेवा मद से किया जायेगा जिस हेतु अध्यक्ष, जिला फोरम आवंटन हेतु अधियाचना विभाग को उपलब्ध करायेगें।

अतः अनुरोध है कि कंडिका 5 में वर्णित तथ्यों के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार उम्मीदवारों को चयनित कर नियुक्त करने की कृपा की जाय एवं सूचना विभाग को भी दी जाय।

विश्वासभाजन

Illegible 03/20

प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02–बी01 53/2010 1796 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कार्यहित में जिला फोरम के पदों को पत्र में वर्णित प्रक्रिया से शीघ्र भरे जाने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक निदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना एवं सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Illegible 4/03/20

प्रधान सचिव

## उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम के अधीन लिपिक/बेंच लिपिक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकीकृत राज्य स्तरीय रोस्टर के अनुरूप जिलावार/कोटिवार रिक्ति की सूची।

| क्र0 सं0 | जिला फोरम/राज्य आयोग का नाम | रिक्त पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति | | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनु0 जाति | अनु0 जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग की महिला | अनारक्षित | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अररिया | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2 | अरवल | 3 | 2 | | 1 | | | | 3 |
| 3 | औरंगाबाद | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| 4 | बाँका | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 |
| 5 | बेगुसराय | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 6 | भागलपुर | 0 | | | | | | | 0 |
| 7 | भोजपुर | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| 8 | बक्सर | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 |
| 9 | दरभंगा | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 10 | गया | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 11 | गोपालगंज | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 |
| 12 | जमुई | 3 | | | 1 | | | 2 | 3 |
| 13 | जहानाबाद | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 14 | कैमुर (भभुआ) | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
| 15 | कटिहार | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 16 | खगडिया | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 |
| 17 | किशनगंज | 2 | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 18 | लखीसराय | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
| 19 | मधेपुरा | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| 20 | मधुबनी | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 21 | मुंगेर | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
| 22 | मुजफ्फरपुर | 0 | | | | | | | 0 |
| 23 | नालंदा | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 24 | नवादा | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| 25 | प0 चम्पारण | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 |
| 26 | पटना | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 27 | पूर्णिया | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 28 | पूर्वी चम्पारण | 0 | | | | | | | 0 |
| 29 | रोहतास | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 30 | सहरसा | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 31 | समस्तीपुर | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| 32 | सारण | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 |
| 33 | खपुरा | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 34 | शिवहर | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| 35 | सीतामढी | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 |
| 36 | सिवान | 3 | | | 1 | | | 2 | 3 |
| 37 | सुपौल | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
| 38 | वैशाली | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| 39 | राज्य आयोग | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| कुल | | 63 | 15 | 4 | 13 | 7 | 2 | 22 | 63 |

(प्रधान सचिव)

# खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना

## 15 मार्च, 2011 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन-टोल फ्री नं० - 18003456188

इस नंबर पर बिहार राज्य के सभी उपभोक्ता बिना शुल्क के अपनी उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

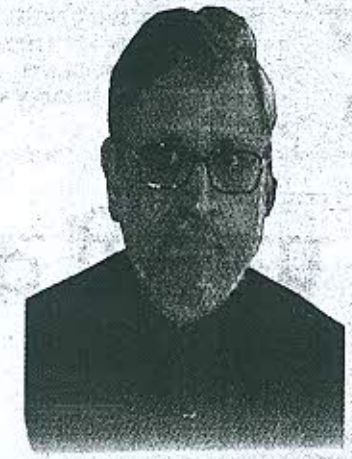

एक्सपायर्ड वस्तु, भारत छोड़ों !

जागो ग्राहक जागो

उपभोक्ता अपने हितों के संवर्द्धन एवं सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पर अवश्य ध्यान दें।

(117)

# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02–बी01 53/2010 1795 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– जिला उपभोक्ता फोरम के रिक्त चतुर्थवर्गीय पदों पर नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि वर्ष 1997 में सभी जिला फोरमों के रिक्त वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर राज्य खाद्य निगम के अतिरेक कर्मचारियों को समायोजन के आधार पर नियुक्त किया गया था। ऐसे नियुक्त कर्मचारियों में अधिकांश अब सेवानिवृत/मृत हो चुके है तथा जो कर्मचारी शेष बचे हुये है वे भी सेवानिवृति के कगार पर है। फोरम के अधिकांश कर्मियों के सेवानिवृति के कारण कार्यालय का दैनिक कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। कतिपय जिला फोरमों में एक भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कार्यरत नही रहने के कारण फोरम कार्यालय में झाड़ु लगाने अथवा ताला खोलना भी संभव नही हो रहा है। चौकीदार के अभाव में कार्यालय के अभिलेख की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

वर्ष 1997 के निर्णयानुसार इस श्रेणी के कर्मियों का संवर्ग जिला स्तरीय है जिसके संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी जिलाधिकारी ही है। जिला उपभोक्ता फोरम के कार्य की प्रकृति की विशिष्टता को मददेनजर रखते हुये सिर्फ वर्ग 3 के रिक्त पदों पर नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर से केन्द्रीयकृत रोस्टर के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि जिला फोरम के रिक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के प्रावधानों के आलोक में रोस्टर का अनुपालन करते हुये नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र की जाय एवं सूचना विभाग को भी दी जाय। ज्ञातव्य हो कि जिला उपभोक्ता फोरम, सारण (छपरा) से संबंधित समादेश याचिका का निस्तार करते हुये मा0 पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निदेश पारित किया गया है। कृपया प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
4/03/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02–बी01 53/2010 1795 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/03/2011
प्रधान सचिव